अध्याय–III

3. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र से सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

ऊर्जा विभाग

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.1 राजस्व की परिहार्य हानि

उपभोक्ता को गलत बिलिंग के कारण मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 3.26 करोड़ की राजस्व हानि सहन करनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (प्रदाय संहिता) का उपवाक्य 5.3 (मीटर की आपूर्ति और संस्थापन) प्रावधानित करता है कि यदि किसी एच0टी0/ई0एच0टी0 उपभोक्ता को आपूर्ति उसके अनन्य प्रयोग के लिए स्वतन्त्र फीडर पर दी जाती है, तो मीटर व्यवस्था उपभोक्ता के परिसर पर संस्थापित की जायेगी या यदि पारस्परिक रूप से सहमति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर मीटर व्यवस्था का प्रयोग बिल के लिए किया जा सकेगा और किसी मीटर के उपभोक्ता के परिसर पर संस्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

हाई वोल्टेज (एचवी)–4 श्रेणी[1] उपभोक्ताओं (लघु सिंचाई कार्य) पर लागू टैरिफ आदेश[2] उन दरों को प्रावधानित करता है जिस पर वास्तविक उपभोग की गयी विद्युत के लिये लागू माँग एवं विद्युत प्रभार प्रभारित किया जायेगा। टैरिफ आदेश आगे, मासिक 'न्यूनतम प्रभार[3]' लागू करने के लिये बताता है यदि किसी विशिष्ट माह में माँग प्रभार एवं विद्युत प्रभार का योग न्यूनतम प्रभार से कम होता है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत वितरण खण्ड बलरामपुर (खण्ड) में एक उपभोक्ता का 2,500 केवीए का अनुबन्धित भार था एवं उनको 132 केवी उपकेन्द्र बलरामपुर के स्वतन्त्र फीडर से विद्युत आपूर्ति होती थी। उपभोक्ता के परिसर में कोई मीटर संस्थापित नहीं था एवं खण्ड अपने 132 केवी उपकेन्द्र पर संस्थापित मीटर में अंकित उपभोग एवं अनुबन्धित माँग के आधार पर एचवी–4 श्रेणी के अन्तर्गत बिल तैयार कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2017) कि कम्पनी को जनवरी 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान गलत बिल बनाने के कारण ₹ 7.37 करोड़ की हानि हुयी ***(परिशिष्ट–3.1)***, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

(i) यद्यपि, जनवरी 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान 45 महीनों में से, 27 महीनों में वास्तविक उपभोग प्रभार नियत मासिक न्यूनतम प्रभार से कम था, फिर भी खण्ड ने वास्तविक उपभोग के आधार पर उपभोक्ता को बिल किया। इसके

---

[1] दर अनुसूची (एचवी–4) 100 बीएचपी (75 केडब्ल्यू) से अधिक भार वाले मध्यम एवं वृहत पम्प नहरों पर लागू होती है।

[2] टैरिफ आदेश 2014–15 दिनांक 12 अक्टूबर 2014, 2015–16 दिनांक 28 जून 2015, 2016–17 दिनांक 10 अगस्त 2016 एवं 2017–18 दिनांक 9 दिसम्बर 2017।

[3] न्यूनतम प्रभार की गणना अनुबन्धित भार पर निर्धारित दर पर की जाती है एवं आगे, इसमें अतिरिक्त शुल्क जैसे विद्युत शुल्क, नियामक अधिभार इत्यादि शामिल होते हैं।

परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा ***परिशिष्ट–3.2(अ)*** में वर्णित किया गया है।

(ii) खण्ड ने जनवरी 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान 45 महीनों में से 28 महीनों में ₹ 9.29 करोड़ धनराशि के बिल निर्गत किये थे। लेकिन, उपभोक्ता ने अपने परिसर में मीटर संस्थापित नहीं होने के बहाने पर मनमाने ढंग से एवं बिना किसी अभिलेखित मापदंड पर केवल ₹ 5.92 करोड़ की धनराशि को सत्यापित किया। हालाँकि, खण्ड ने बिल की गयी धनराशि के सापेक्ष कम सत्यापित धनराशि को उपभोक्ता के आगामी बिलों में बकाया के रूप में अग्रेषित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 3.37 करोड़ की बिल की गयी धनराशि का कम सत्यापन हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट–3.2(ब)*** में वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता के परिसर में मीटर नहीं संस्थापित होने का कारण शुरू से ही अस्पष्ट रहा क्योंकि इस सम्बंध में खण्ड एवं उपभोक्ता के बीच कोई पारस्परिक समझौता नहीं हुआ था।

(iii) खण्ड ने जनवरी 2015 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान, 45 महीनों में से 18 महीनों में बिल योग्य भार[4] के बजाय अनुबन्धित भार के आधार पर बिल तैयार किया था जो कि 2500 केवीए के अनुबन्धित भार से पाँच महीनों में दो प्रतिशत से 472 प्रतिशत तक अधिक एवं 13 महीनों में 10 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक कम था। आगे, खण्ड में उचित शास्ति[5] नहीं लगायी गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा कि ***परिशिष्ट–3.2(स)*** में वर्णित किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित किये जाने (मई 2017) पर त्रुटि प्रबन्धन के संज्ञान में आई। हालाँकि, त्रुटि सितम्बर 2018 तक बनी रही।

प्रबन्धन/सरकार ने उत्तर में कहा (अगस्त 2019/सितम्बर 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹ 7.37 करोड़ में से ₹ 4.11 करोड़ की धनराशि के बिल को उपभोक्ता से सत्यापित करा लिया गया है। ₹ 3.26 करोड़ के कम सत्यापन के सम्बंध में यह कहा कि बाढ़ से उतरौला लाईन के प्रभावित होने के कारण उतरौला क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सितम्बर 2016, सितम्बर 2017 एवं अक्टूबर 2018 के दौरान उपभोक्ता की फीडर लाइन से की गयी जिसके कारण उपभोक्ता को बिल नहीं किया जा सका। इसलिये, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता को न्यूनतम प्रभार पर बिल किया गया।

हालाँकि, जवाब में यह उल्लेख नहीं किया गया कि ₹ 3.26 करोड़ के अन्तर की राशि की क्षतिपूर्ति कैसे की गयी जिसके बारे में लेखापरीक्षा द्वारा विशेष रूप से अगस्त 2019 में पूछा गया था।

---

[4] टैरिफ आदेश के दर अनुसूची के सामान्य प्रावधान यह वर्णित करते हैं कि माह के दौरान बिल योग्य भार/माँग, मीटर द्वारा अंकित वास्तविक अधिकतम भार/माँग अथवा अनुबन्धित भार/माँग का 75 प्रतिशत, जो अधिक हो, होता है।

[5] टैरिफ आदेश के दर अनुसूची के सामान्य प्रावधान यह वर्णित करते हैं कि यदि किसी माह में अधिकतम भार/माँग अनुबन्धित भार/माँग से अधिक होता है, तो इस तरह के अधिक भार/माँग को, मीटर द्वारा अंकित अधिकतम भार/माँग पर सामान्य स्थायी/माँग प्रभार के अलावा सामान्य दर के 200 प्रतिशत के बराबर लगाया जायेगा।

लेखापरीक्षा प्रभाव

निम्नलिखित मामलों में, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली की गई।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.2 कम लागू किये गये न्यूनतम प्रभार ₹ 1.15 करोड़ की वसूली।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश 2015–16 एवं 2016–17, जो हाईवोल्टेज (एचवी)–3 श्रेणी उपभोक्ताओं (रेलवे ट्रेक्शन) पर लागू है, प्रावधानित करता है कि एक उपभोक्ता को केवल तभी 'न्यूनतम प्रभार' के आधार पर बिल किया जायेगा जब वास्तविक माँग एवं विद्युत प्रभार का योग न्यूनतम प्रभार से कम होता है। आगे, टैरिफ आदेश का सामान्य प्रावधान बताता है कि अनुबन्धित भार पर मासिक न्यूनतम प्रभार की गणना की जायेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2017 में इंगित करने के बाद कि एक उपभोक्ता के अनुबन्धित भार के 100 प्रतिशत के विपरीत अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत पर न्यूनतम प्रभार का अगस्त 2015 से जुलाई 2016 की अवधि के दौरान गलत गणना की गयी थी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–।।। गोरखपुर ने न्यूनतम प्रभार की कम प्रभारित धनराशि की वसूली के लिये ₹ 1.15 करोड़ का पूरक बिल निर्गत (जनवरी 2018) किया एवं इसे अप्रैल 2018 में उपभोक्ता से वसूल कर लिया गया।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

3.3 मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज के ₹ 1.82 करोड़ की वसूली।

ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम (एमए) की वसूली के सम्बंध में सीवीसी के दिशानिर्देशों (अप्रैल 2007) का उल्लंघन करते हुये, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने आरएपीडीआरपी पार्ट–बी योजना के अन्तर्गत टर्नकी आधार पर शाहजहांपुर नगर में वितरण प्रणाली के सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं वृद्धि के लिये आपूर्ति एवं निर्माण कार्य के लिये ठेकेदार के साथ ₹ 81.54 करोड़ की लागत पर एवं दिसम्बर 2013 तक कार्य पूर्ण करने हेतु एक अनुबन्ध (सितम्बर 2012) किया जिसमें न तो मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गयी एवं न ही इस सम्बंध में अनुबन्ध में कोई प्रावधान नियत किया गया। कम्पनी ने ठेकेदार को ₹ 8.15 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम अक्टूबर 2012 में दिया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल से मोबिलाइजेशन अग्रिम के सापेक्ष बिल की धनराशि का 10 प्रतिशत कटौती की। हालाँकि, निर्धारित समाप्ति तिथि यानी दिसम्बर 2013 तक एमए के सापेक्ष केवल ₹ 0.22 करोड़ की वसूली की जा सकी थी। चूँकि, कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं हो सका, इसलिए ठेकेदार ने ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम का दिसम्बर 2013 के बजाय जनवरी 2018 तक उपभोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कम्पनी को जनवरी 2014 से जनवरी 2018 की अवधि के दौरान अग्रिम की अप्राप्य धनराशि पर ₹ 1.82 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा नवम्बर 2017 में इंगित करने के बाद, प्रबन्धन ने मार्च 2019 में ठेकेदार के लम्बित बिलों से ब्याज की हानि के सापेक्ष ₹ 1.82 करोड़ की वसूली कर ली।

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

3.4 शटडाउन प्रभार के ₹ 2.92 करोड़ की वसूली।

बाह्य एजेन्सियों जो ट्रान्समिशन लाइन के शटडाउन आवंटित करने के लिए अथवा लाइन की ऊँचाई बढ़ाने, लाइन शिफ्टिंग के लिये अनुरोध करते हैं, से उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) के निदेशक मण्डल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित दर पर यूपीपीटीसीएल शटडाउन प्रभार वसूल करता है। 30 अक्टूबर 2009 से प्रभावी दर को बीओडी द्वारा आगे मई 2016 में संशोधित कर दिया गया जो कि अगस्त 2016 से प्रभावी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2017 में इंगित करने के बाद, विद्युत पारेषण खण्ड–प्रथम, वाराणसी ने चार बाह्य एजेन्सियों से सम्बंधित 132 केवी ट्रान्समिशन लाइन की ऊँचाई बढ़ाने के कार्य से सम्बंधित पाँच निष्पादित प्राक्कलनों में ₹ 2.92 करोड़ की धनराशि के शटडाउन प्रभार को शामिल किया जिसे जून 2019 में सम्बंधित एजेन्सीज से वसूल कर लिया गया।